मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/3424 /**MGNREGS-MP/NR-3/SE/16,** **भोपाल, दिनांक** 06/04/ **2016**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त, (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने एवं नवीन कार्य स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भः–
1. विभाग का पत्र क्र. 9581, दिनांक 17.12.2013
2. विभाग का पत्र क्र. 5542, दिनांक 22.05.2015
3. परिषद का पत्र क्र. 8532 दिनांक 27.08.2015

––00––

प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत बड़ी संख्या में (4,28,132) कार्य अपूर्ण पड़े है। इन कार्यो को पूर्ण कराने हेतु लगभग राशि रूपये 6500 करोड़ की आवश्यकता होगी। उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा विगत वर्षों के अपूर्ण साध्य कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश कार्य कृषि व कृषि आधारित तथा हितग्राही मूलक लिये जावे, जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ीकरण में सहायक हो एवं भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार न्यूनतम 60% व्यय कृषि आधारित कार्यो पर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मनरेगा अंतर्गत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं जल संधारण के कार्यो को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिये है।

जिलों में ग्राम पंचायतो के द्वारा पुराने कार्यो को पूर्ण न कराते हुये नवीन कार्य खोले जाने के संबंध में ज्यादा रूचि दिखाई जाती है। आप अवगत ही है कि निरंतर नवीन कार्य खोलने के कारण वित्तीय संयोजन में कठिनाई सामने आ रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत में रूपये 720 करोड़ की राशि भुगतान योग्य शेष है, इसमें बड़ी राशि मजदूरी भुगतान की हैं। इससे कई स्तरों पर समय पर मजदूरी का भुगतान न होने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं है। आगामी वर्ष (2016–17) में प्रदेश का 14.27 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट अनुमोदित हुआ है, जिसके विरूद्ध लगभग रूपये 3000 करोड़ प्राप्त होने की संभावना होगी।

पुराने कार्यो को पूर्ण कराने एवं नवीन कार्यो के प्रारंभ करने हेतु निम्न प्रक्रिया सुनिश्चित करें :–

1. अपूर्ण कार्यो में सर्वप्रथम जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्य पूर्ण कराये जावे। जिन ग्राम पंचायतो में नवीन कार्य लिये जाने की आवश्यकता रहती है उनमें जल संरक्षण एवं संवर्धन तथा शासन की प्राथमिकता वाले अभिसरण के कार्य (यथा पंचायत भवन, ऑगनबाड़ी) लिये जावे।

2. अपूर्ण कार्यो की समीक्षा हेतु संदर्भित पत्र क्र. 3 के साथ दिये गए 26 कॉलम के ''प्रगति पत्रक'' में दर्शित ऐसे कार्य जो वर्तमान में बंद है, उनके बंद रहने की समयावधि के आधार पर यह परीक्षण किया जावे कि कार्य अपूर्णता की श्रेणी में क्यों है ? 31 मार्च 2015 तक प्रारंभ हुए कार्य जिनमें मस्टर रोल जारी हुये है परन्तु जॉबकार्डधारी श्रमिकों की अनुपस्थिति/अरूचि के कारण मौके पर प्रारंभ नहीं हुये हैं **तथा** व्यय **शून्य** है, उनका **तत्काल** क्लोजर किया जाए एवं समुचित इन्द्राज एमआईएस में किया जाए।

संबंधित नस्ती में कार्य के बंद करने के संलग्न प्रमाण पत्र प्रारूप में **"शून्य व्यय व मौके पर कोई कार्य नहीं"** दर्ज किया जाये।

3. इसी प्रकार जिन कार्यों में सूचना फलक या सामग्री/मजदूरी में अल्प राशि व्यय की गई परन्तु मौके पर कोई कार्य नहीं किया गया हो अथवा किया गया व्यय निष्फल/अनुपयोगी है, ऐसे कार्यो को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा राशि जिला पंचायत की मनरेगा खाते में जमा कराने पर कार्य निरस्त किया जा सकेंगा। इस प्रकार के कार्यो को बंद करने के संलग्न प्रमाण पत्र प्रारूप में **"कार्य में प्रदर्शित निष्फल व्यय की वसूली कर ली गई है"** अंकित किया जावे तथा **"एमआईएस में कार्य को निरस्त करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बंद करने की दिनांक अंकित की जा रही है,"** यह टीप अंकित करते हुये कार्य बंद करने का प्रमाण पत्र जारी किया जावे। ऐसे सभी कार्यो में कार्य बंद करने का प्रमाण पत्र क्रियान्वयन एजेंसी, सहायक यंत्री/समकक्ष तकनीकी अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत अनिवार्यतः हस्ताक्षर करेंगे।

4. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्तमान में सड़क सम्पर्कता के 74,094 कार्य प्रगतिरत है अर्थात् प्रति ग्राम पंचायत औसतन 3 सड़क निर्माण के कार्य प्रगतिरत है। सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के लिये जारी संदर्भित परिपत्र क्र. 1 के बिन्दु क्र. 7 में स्पष्ट निर्देश है कि ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत लेबर बजट की कुल राशि का 25% अंश की सीमा में इस उपयोजनांतर्गत कार्य लिये जावे। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए लेबर बजट की 25% की सीमा से अधिक के सुदूर संपर्क व खेत सड़क के कार्य लिये है व कार्य अबतक अधूरे या अप्रारंभ हैं, इसका परीक्षण कर संबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे तथा यह ध्यान रखा जावे कि **किसी भी ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सड़क निर्माण का एक समय में एक से अधिक कार्य प्रगतिरत न हो।** किसी भी समय एक से अधिक सड़कों में मस्टर रोल जारी होना पाया जाने पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

5. **कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करें कि रोजगार की मांग आने पर ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम सबसे पुराने व वर्तमान में साध्य अपूर्ण कार्यों में मस्टर जारी हो**, जिससे विभाग/परिषद के पत्र क्र 2 एवं 3 के निर्देशों का पालन होते हुए **"फस्ट इन फस्ट आऊट"(FIFO)** पद्धति से कार्य पूर्ण हो सके।

6. चूंकि विगत वर्षो के अपूर्ण कार्य वृहद संख्या में है, लेबर बजट की पूर्ति हेतु तैयार एसओपी में से उतने ही नवीन कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन तथा अभिसरण के स्वीकृत करके रखे जावे **(तकनीकी एवं** प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर) जिनमें जॉबकार्डधारी श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो एवं **जो** लेबर बजट पूर्ति के लिये आगामी 6 माह में प्रारंभ हो सके।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे एवं विगत वर्षो के अपूर्ण कार्यों **को** पूर्ण कराने में विशेष रूचि लेते हुए कार्य पूर्ण कराये जावे। **किसी भी स्थिति में मानव श्रम के बदले मशीनों का उपयोग पाये जाने पर कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी सहित पर्यवेक्षणकर्ता कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावें।**

संलग्न – उपरोक्तानुसार दो प्रमाण पत्र।

(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 3425 / MGNREGS-MP/NR-3/SE/16, भोपाल, दिनांक 06/04 / 2016

प्रतिलिपि,

1. माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के विशेष सचिव।
2. प्रमुख अभियंता,ग्रा.या.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल म.प्र.।
3. संभागायुक्त, समस्त म.प्र.।
4. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला प्रभारी, समस्त...................................... म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल, समस्त, म.प्र.।
7. संयुक्त आयुक्त, योजना/मॉनिट,म.प्र.रा.रो.गा.परिषद भोपाल म.प्र.।
8. सिस्टम एनालिस्ट, म.प्र.रा.रो.गा.परिषद भोपाल म.प्र.।
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल, समस्त, म.प्र.।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी नरेगा
निरंक (शून्य) व्यय वाले कार्यों के बंद करने हेतु प्रमाण पत्र

-----00-----

1. कार्य का नाम एवं कार्य स्थल :– ....
2. वर्क कोड :– ....
3. ग्राम, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत :– ....
   व जिले का नाम
4. तकनीकी स्वीकृति क्रं. , दिनांक व राशि :– ....
5. प्रशासकीय स्वीकृति क्रं. , दिनांक व राशि :– ....
6. कार्य प्रारंभ करने हेतु जारी मस्टर रोल :– ....
   क्रमांक व मस्टर की अवधि
7. कार्य बंद करने का कारण :– ....
8. कार्य निरस्त करने के प्रकरण की :– ....
   ग्राम सभा में अनुमोदन की दिनांक
9. कार्य बंद करने की एम. आई. एस :– ....
   में अंकित दिनांक
10. रिमार्क कोई हो तब :– ....

(हस्ताक्षर व सील) क्रियान्वयन एजेन्सी	(हस्ताक्षर व सील) उपयंत्री	(हस्ताक्षर व सील) सहायक यंत्री/ समकक्ष तकनीकी अधिकारी	(हस्ताक्षर व सील) लेखाधिकारी जनपद पंचायत	(हस्ताक्षर व सील) जनपद पंचायत .... जिला ....

महात्मा गॉधी नरेगा

कार्य में निष्फल व्यय की वसूली उपरांत कार्य बंद करने का प्रमाण पत्र

-----00-----

1. कार्य का नाम एवं कार्य स्थल :– ....

2. वर्क कोड :– ....

3. ग्राम, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत :– ....
   व जिले का नाम

4. तकनीकी स्वीकृति क्रं. , दिनांक व राशि :– ....

5. प्रशासकीय स्वीकृति क्रं. , दिनांक व राशि :– ....

6. कार्य प्रारंभ करने हेतु जारी मस्टर रोल :– ....
   क्रमांक व मस्टर की अवधि

7. कार्य में किया गया व्यय :– मजदूरी .... , सामग्री.............., कुल..............

8. कार्य बंद करने का कारण :– ....

9. कार्य निरस्त करने के प्रकरण की :– ....
   ग्राम सभा में अनुमोदन की दिनांक

10. वसूली की गई राशि एवं जिला :– ....
    पंचायत का मनरेगा खाता क्रमांक
    व दिनांक

11. कार्य बंद करने की एम. आई. एस :– ....
    में अंकित दिनांक

12. रिमार्क कोई हो तब :– ....

(हस्ताक्षर व सील)	(हस्ताक्षर व सील)	(हस्ताक्षर व सील)	(हस्ताक्षर व सील)	(हस्ताक्षर व सील)
क्रियान्वयन एजेन्सी	उपयंत्री	सहायक यंत्री / समकक्ष तकनीकी अधिकारी	लेखाधिकारी जनपद पंचायत	जनपद पंचायत .... जिला ....